न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म०प्र०)

R 89-III/15 रीवा

नंद कुमार पाण्डेय ———— निगरानीकर्ता

शासन मध्यप्रदेश बनाम ———— गैर निगरानीकर्ता

मामला :- निगरानी विरुद्ध श्रीमान् तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 09/11/2014 प्रकरण क्र० 25/A-12/13-14 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं०

निगरानीकर्ता नंदकुमार पाण्डेय की ओर से निम्न अनुसार दस्तावेज पेश है:-

क्रमांक	नाम कागजात	दिनांक	असल नकल	नग
1.	न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर रीवा जिला रीवा को दिया गया, अर्पित आवेदन नंदकुमार पाण्डेय ने दिया दिनांक 17/10/14 को जो पेश किया गया।	17/10/14	फोटो प्रति	1.
2.	न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर के न्यायालय में पटवारी हल्का अगडाल द्वारा ग्राम कराहिया नं०न० 80 की भूमि ख०नं० 54 रकबा 0.295 हे० की जाँच प्रतिवेदन जो पेश किया गया प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति दिनांक 13/2/2014	13/2/14	प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति	1.

द्वारा [signature]
कृष्णकुमार मिश्र
एडवोकेट
13/10/15

आवेदक / निगरानीकर्ता
नंदकुमार पाण्डेय

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-89/III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.15	मेरे द्वारा निगराकार अभिभाषक के तर्क सुने गए, नस्ती पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया, एवं ग्राह्यता की स्टेज पर प्रकरण में समक्ष आए सुसंगत बिन्दुओं पर विचार किया गया। निगरानी मेमो, अभिलेखों एवं तर्कों को समेकित करते हुए निम्न बिन्दु समक्ष आते हैं :- (1) निगराकार नन्दकुमार की भूमि स.न. 54 का सीमांकन पूर्व में दि. 13.2.14 को पटवारी द्वारा किया गया था एवं प्रतिवेदन तहसीलदार को भेजा गया था (प्रतियां संलग्न नस्ती हैं) जिसके अनुसार भूमि के दक्षिण पश्चिम सिरे पर 1मी X 4मी पर राजेश पि पतिया साकेत द्वारा पक्का मकान बढ़ाकर बनाया जाना लिखा है। (2) RI द्वारा दि 5.10.14 को इस भूमि का पुनः सीमांकन ~~किया गया~~ अपनी उपस्थिति में पटवारी से कराया गया, जिसका प्रतिवेदन 14.11.14 को पटवारी ने RI को भेजा। इस प्रतिवेदन में भूमि के उत्तरपूर्व भाग पर 40x10 कड़ी पर युगल पि. रामसखा कोल का 25-30 वर्ष पुराना मकान होना लिखा है।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

(3) नन्दकुमार ने दि 5.10.14 के इस सीमांकन के विरुद्ध आपत्ती तहसीलदार को दी है। यह आपत्ती 17.10.14 को प्राप्त हुई होना आपत्ती की मार्जिन में अंकित है।

आपत्ती में नन्दकुमार ने अपनी भूमि पर गलत व्यक्ति का अतिक्रमण (दि. 5.10.14 के सीमांकन) बता दिया गया होना लिखा है।

(4) दोनों सीमांकन की कार्यवाहियों में किसी स्थाई सीमाचिह्न का आधार लेकर सीमांकन किए गए होने के स्पष्ट लेख का अभाव है।

(5) पटवारी प्रतिवेदन दि. 14.11.14 का होना, तथा उसकी पुष्टि का आक्षेपित आदेश दि. 9.11.14 (अर्थात दि. 14.11.14 के पूर्व) को जारी होने, अपने आप में एक विसंगति है।

(6) ~~नन्दकुमार की भूमि के दक्षिण~~ पश्चिम में राजेश सोकेत द्वारा मकान बनाया जाना एक नई गतिविधि है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में जुगल कोल का मकान एक पुराना निर्माण होना लिखा है। नई गतिविधि के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 89/III/15 जिला रीवा

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	संबंध में अधिक सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं आक्षेपित आदेश दि. 9.11.2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ। साथ ही संबंधित तहसीलदार को यह निर्देश देता हूँ कि निगरानीकार नन्दकुमार के आवेदन अनुसार उनकी भूमि का सीमांकन नए सिरे से, समस्त सरहदी कृषकों, हितबद्ध पक्षकारों एवं आवेदक स्वयं को अपने पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देते हुए, एवं इनके द्वारा यदि कोई आपत्तियां आदि आएं तो इनका विधिवत निराकरण करते हुए, (•) कराएं, तथा प्रकरण में अपने स्तर से बोलता हुआ, पारदर्शितायुक्त एवं न्यायपूर्ण आदेश नए सिरे से इस आदेश की उन्हें (तहसीलदार को) सूचना के अधिकतम तीन माह के भीतर अनिवार्यतः पारित करें। (••) प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। दा.द. हो। 23.10.15 सदस्य	(•) तथा स्थाई सीमा चिन्हों का आधार लेकर समस्त कार्यवाही विधिवत पूर्ण कराते हुए, (••) यदि इस आदेश के अनुसार, 13.2.14 अथवा 5.10.14 में से कोई भी सीमांकन की कार्यवाही गलत पाई जाती है तो संबंधित लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध योग्य ~~अनुशासनात्मक~~ कार्यवाही भी करें अथवा कराएं।